तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज डॉ. राजेन्द्र कुमार बंशीवाल बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार बालेसर) सू.अ.अ. अपील संख्या 192/2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.11.20	अपीलार्थी डॉ. राजेन्द्र कुमार बंशीवाल, पता 128, परिहार नगर, भदवासिया जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.08.20 में उसके द्वारा (1) भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत निजी खातेदारों की जमीन अवाप्त करने के लिए आपके कार्यालय से जारी किये गये नोटिसों की प्रमाणित प्रतिया व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बालेसर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बालेसर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदा बालेसर) से जरिये पत्रांक 531 दिनांक 06.11.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर से संबंधित थी जो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत कार्यालय के पत्रांक/सू.अ.अ./2020/423 दिनांक 31.08.2020 के जरिये उपखाण्ड अधिकार बालेसर को प्रेषित कर दिया गया तथा प्रार्थी को भी सूचनार्थ पत्रांक 424 दिनांक 31.08.20 जारी किया गया। चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा जो सूचना बिन्दु संख्या 1 ता 4 से संबंधित सूचना चाही गई वो ही सूचना उपखण्ड अधिकारी बालेसर से भी चाही गई तथा उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा सूचना नहीं दिये जाने पर अपीलार्थी ने अपील (193/2020) प्रस्तुत की जा चुकी है तथा उस अपील में उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 1870 दिनांक 6.11.2020 प्रेषित की जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो सूचना चाही गई है वह सूचना काफी वृहद् है एवं बिन्दु संख्या .3 वैयक्ति सूचना है उक्त सूचना को तैयार करने में कार्यालय का अनावश्यक समय होगा, इसके अतिरिक्त भूमि अवाप्ति में किन खातेदारों की जमीन अवाप्त की जा रही है इसका प्रकाशन राजपत्र में किया जाकर समाचार पत्रों में भी प्रकाशन किया जाता है। अतः प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना काफी वृहद् होने एवं वैयक्ति सूचना होने से उपलब्ध नहीं करवाई गई जिससे प्रार्थी को अवगत करवाया दिया गया था। हम लोक सूचना अधिकारी की इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना काफी वृहद् होने से उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती। सूचना उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा सूचना शुल्क निर्धारित किया हुआ है अतः सूचना कितनी भी वृहद् हो, निर्धारित शुल्क कुल राशि जमा कराने हेतु प्रार्थी को अवगत कराना चाहिए, इस प्रकरण में ऐसी कार्यवाही नहीं की है जो विधिक लगातार...	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anop Singh Inda
Date: 2020.12.16 15:36:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रावधानों को आत्मसात् नं करने का फल है एवं खेदजनक है। अतः
स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी
किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना निःशुल्क
उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Ve
Digitally signed by Ar
Date: 2020.12.16 15:
Reason: SelfAttested